जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सारण
उपस्थित : राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, सारण

निर्णय की तिथिः–30 मार्च, 2026

[सत्रवाद संख्या 676/2010 संबंधित
निबंधन संख्या 2582/2014
सोनपुर थाना कांड संख्या 239/2007 ,जी. आर. संख्या 3338/2007]

बिहार सरकार
द्वाराः–रणधीर कुमार-

अभियोजन

अभियोजन की ओर से — 1. श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

अभियुक्त

1. विश्वनाथ राय, पुत्र स्व0 कमला राय, उम्र लगभग 62 वर्ष।
2. कृष्णा राय, पुत्र चंद्रकेत राय, उम्र लगभग 46 वर्ष।
3. संजय राय, पुत्र विन्देश्वर राय, उम्र लगभग 53 वर्ष।
4. विन्देश्वर राय, पुत्र स्व0 रामविलास राय, उम्र लगभग 79 वर्ष।
5. रामा कान्त राय, पुत्र स्व0 रेखा राय, उम्र लगभग 74 वर्ष।
6. मैनेजर राय, पुत्र स्व0 रेखा राय, उम्र लगभग 82 वर्ष।
7. सुरेश राय, पुत्र रामाकांत राय, उम्र लगभग 48 वर्ष।
8. चंद्रकेत राय , पुत्र स्व0 भवानी राय, उम्र लगभग 82 वर्ष।
9. कृष्णा राय, पुत्र स्व0 कमला राय, उम्र लगभग 54 वर्ष।
10. कामेश्वर राय, पुत्र चंद्रकेत राय, उम्र लगभग 42 वर्ष।
11. रमेश राय, पुत्र मिश्री राय, उम्र लगभग 52 वर्ष।
12. राजू सिंह उर्फ राजकुमार सिंह, पुत्र हीरा सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष।
13. हीरा सिंह, पुत्र स्व0 ठाकुर सिंह, उम्र लगभग 74 वर्ष।
14. धर्मनाथ राय, पुत्र स्व0 गोरख राय, उम्र लगभग 45 वर्ष।

सभी निवासी ग्राम चौसिया, थाना सोनपुर, जिला सारण, छपरा।

अभियुक्त की ओर से — 1. श्री केदारनाथ राय, विद्वान अधिवक्ता

अपराध की तिथि	29.10.2007
प्राथमिकी की तिथि	30.10.2007
आरोप पत्र की तिथि	24.01.2008 एवं 31.05.2010
आरोप गठन की तिथि	09.01.2009 एवं 27.05.2011

साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि 27.06.2011

निर्णय पर नियत करने की तिथि 23.03.2026

निर्णय की तिथि 30.03.2026

सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि, यदि कोई हो

अभियुक्तगणों का विवरण

श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	आरोप अंतर्गत	आरोप मुक्त अथवा दोषसिद्ध	सुनाई गई सजा	वाद विचारण के समय कारा में बिताई गई अवधि द.प्र.स. की धारा 428 के अंतर्गत
1.	विश्व नाथ राय	31.10.2007	30.05.2008	धारा अंतर्गत 302, 307/149 भा.द.वि.	दोषमुक्त		
2.	कृष्णा राय, पुत्र चंद्रकेत राय	12.12.2007	21.07.2008	धारा अंतर्गत 302, 307/149 भा.द.वि.	दोषमुक्त		
3.	संजय राय	12.05.2008	11.06.208	धारा अंतर्गत 147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा.द.वि.	दोषमुक्त		
4.	विन्देश्वर राय	21.05.2008	18.07.2008	धारा अंतर्गत 147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा.द.वि.	दोषमुक्त		
5.	रामा कांत राय	21.05.2008	18.07.2008	धारा अंतर्गत 147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा.द.वि.	दोषमुक्त		
6.	मैनेजर राय	21.05.2008	18.07.2008	धारा अंतर्गत 147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा.द.वि.	दोषमुक्त		
7.	सुरेश राय	29.02.	13.05.	धारा अंतर्गत	दोषमुक्त		

		2008	2008	147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा. द.वि.			
8.	चंद्रकेत राय	24.05. 2008	18.07. 2008	धारा अंतर्गत 147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा. द.वि.	दोषमुक्त		
9.	कृष्णा राय, पुत्र स्व0 कमला राय	06.05. 2008	18.07. 2008	धारा अंतर्गत 147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा. द.वि.	दोषमुक्त		
10.	कामेश्वर राय	24.05. 2008	18.07. 2008	धारा अंतर्गत 147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा. द.वि.	दोषमुक्त		
11.	रमेश राय	31.05. 2010	22.06. 2010	धारा अंतर्गत 147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा. द.वि.	दोषमुक्त		
12.	राजू सिंह	10.06. 2008	20.08. 2008	धारा अंतर्गत 147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा. द.वि.	दोषमुक्त		
13.	हीरा सिंह	10.06. 2008	20.08. 2008	धारा अंतर्गत 147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा. द.वि.	दोषमुक्त		
14.	धर्मनाथ राय	19.05. 2008	18.07. 2008	धारा अंतर्गत 147, 148, 341, 323, 324, 302, 379/149 भा. द.वि.	दोषमुक्त		

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्तगणों में अभियुक्तगण विश्वनाथ राय एवं कृष्णा राय के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 302, 307/149 के अंतर्गत एवं अभियुक्तगण संजय राय, विंदेश्वर राय, रामाकांत राय, मैनेजर राय, कृष्णा राय, सुरेश राय, चंद्रकेत राय, कामेश्वर राय, रमेश राय, राजू सिंह, हीरा सिंह एवं धर्मनाथ राय आरोपों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 147, 148, 341, 323, 324, 307, 302, 379/149, के अरोपों के अंतर्गत विचारण किया गया।

2. अभियोजन के कथानक का आधार सूचक का फर्दबयान है जिसमें कहा गया है कि दिनांक 29.10.2007 के करीब 2.00 बजे दिन में ग्राम पंचायत राज्य भरपुरा के मुखिया शिया देवी के साथ शामिल अपने भाईयों शत्रुघन राय उर्फ रणविजय राय, प्रभु पंडित मुखिया के पति लक्ष्मी साह के साथ प्राथमिक विद्यालय के स्कूल के अध्यक्ष एवं पंच के चुनाव में भाग लेने हेतु गये थे। उक्त चुनाव में विरोधी पक्ष संजय राय, विन्देश्वर राय, विश्वनाथ राय, रामाकान्त राय, मैनेजर राय, सुरेश राय, मन्नु राय, चंद्रकांत राय, कृष्णा राय, कामेश्वर राय, मुकेश राय, बच्चा राय, रमेश राय, राजू सिंह, हीरा सिंह एवं धर्मनाथ राय पूर्व से षडयंत्र के तहत योजना बनाकर हरवे हथियार से लैस होकर बैठे हुए थे जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो सभी लोग हल्ला करने लगे एवं विरोध करने लगे तथा इसी बात को समझाने के लिए शत्रुघन उर्फ रणविजय राय गये तो उपरोक्त लोग नहीं माने तथा सभी हरवे हथियार से लैस संजय राय, सुरेश राय, विश्वनाथ राय एवं कृष्णा राय अपने अपने हाथ में फरसा लेकर रणविजय राय को जान मारने की नियत से प्रहार किये जिससे उनका सर, कान कट गया तथा खून बहने लगा। बचाने के लिए प्रभु पंडित और सूचक गये तो दोनों को भी उपरोक्त सभी व्यक्ति लाठी, फरसा, भाला से मारपीट किये। जिससे प्रभु पंडित का सर फट गया तथा सूचक को भी जख्म लगा। झगड़ा का कारण इनलोगों से पूर्व की दुश्मनी बताई गई। जाते समय गेहूं, चावल करीब पंद्रह हजार रूपये का एवं विश्वनाथ राय पॉकेट से बीस हजार रूपया छीन कर भाग गये। बंदूक के बट से बिन्देश्वर राय के द्वारा सूचक के साथ मारपीट की गई। सूचक द्वारा यह भी कहा गया कि घटना को लक्ष्मी साह, चुन्नु राय, छोटे लाल वगैरह जो लोग चुनाव में आये थे, देंखे।

3. सूचक के उपरोक्त फर्दबयान के आधार पर सोनपुर थाना कांड संख्या 239/2007 दिनांक 30.10.2007, धारा अंतर्गत 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 379 एवं आगे आदेशानुसार धारा 302 भा.द.वि. अभियुक्तगण संजय राय, विंदेश्वर राय, विश्वनाथ राय, रामाकांत राय, मैनेजर राय, कृष्णा राय, पिता–कमला राय, सुरेश राय, मन्नु राय, चंद्रकेत राय, कृष्णा राय, पिता– चंद्रकेत राय, मुकेश राय, कामेश्वर राय, बच्चा राय, रमेश राय, राजू सिंह, हीरा सिंह एवं धर्मनाथ राय के विरूद्ध दर्ज किया गया। अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र संख्या– 08/2008 दिनांक 24.01.2008 भा.द.वि. की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 302 के अंतर्गत अभियुक्तगण विश्वनाथ राय, कृष्णा राय के विरूद्ध समर्पित किया गया अभियुक्त मुकेश कुमार एवं बच्चा राय को गांव में उपस्थित नहीं पाया गया तथा अन्य प्राथमिकी अभियुक्त संजय राय, विंदेश्वर राय, रामाकांत राय, मैनेजर राय, कृष्णा राय, सुरेश राय, मन्नु राय, चंद्रकेत राय, कामेश्वर राय, रमेश राय, राजू सिंह, हीरा सिंह एवं धर्मनाथ राय के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रहा। उक्त समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वारा दिनांक 25.01.2008 को अभियुक्तगण विश्वनाथ राय एवं कृष्णा राय के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा अंतर्गत 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 302 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया तथा वाद को दौरा सुपुर्दगी हेतु विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी श्री संपत सिंह के न्यायालय में हस्तांरण किया गया। अभियुक्तगणों की उपस्थित एवं पुलिस प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात् विद्वान न्यायिक डंडाधिकारी के द्वारा दिनांक 18.11.2008 को अभिलेख सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया। जिसके आधार पर सत्र वाद संख्या 759/2008 जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश फास्ट ट्रैक अपर जिला सत्र न्यायालय–द्वितीय के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।

4. दिनांक 09.01.2009 को अभियुक्तगण विश्वनाथ राय एवं कृष्णा राय के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 302, 307/149 के अंतर्गत आरोपों का गठन किया गया। अभियुक्तगणों के द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा वाद विचारण का दावा किया गया।

5. तत्पश्चात् पूरक अनुसंधान के पश्चात् आरोप पत्र संख्या 156/2010 दिनांक 31.05.2010 भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 379 एवं 302 अभियुक्तगणों संजय राय, विंदेश्वर राय, रामाकांत राय, मैनेजर राय, कृष्णा राय, सुरेश राय, मन्नु राय, चंद्रकेत राय, कामेश्वर राय, रमेश राय, राजू सिंह, हीरा सिंह एवं धर्मनाथ राय के विरूद्ध समर्पित किया गया। इसी आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 24.06.2010 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सारण के द्वारा पूर्व के संज्ञान आदेश के आधार पर अभियुक्तगणों संजय राय, विंदेश्वर राय, रामाकांत राय, मैनेजर राय, कृष्णा राय, सुरेश राय, मन्नु राय, चंद्रकेत राय, कामेश्वर राय, रमेश राय, राजू सिंह, हीरा सिंह एवं धर्मनाथ राय के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307 एवं 302 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया तथा उसी दिन पुलिस प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात् वाद को सत्र न्यायालय दौरा सुपुर्द किया गया। दौरा सुपुर्दगी के पश्चात् सत्र वाद संख्या 676/2010 जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश फास्ट ट्रैक अपर जिला सत्र न्यायालय–द्वितीय के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।

6. दिनांक 27.05.2011 को अभियुक्तगण संजय राय, विंदेश्वर राय, रामाकांत राय, मैनेजर राय, कृष्णा राय, सुरेश राय, मन्नु राय, चंद्रकेत राय, कामेश्वर राय, रमेश राय, राजू सिंह, हीरा सिंह एवं धर्मनाथ राय के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307, 379 के अंतर्गत आरोपों का गठन किया गया। अभियुक्तगणों के द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा वाद विचारण का दावा किया गया।

7. दिनांक 14.10.2011 को सत्रवाद संख्या 759/2008 को सामान्य स्तर पर होने के कारण सत्र वाद संख्या 676/2010 में Amalgamate किया गया। तत्पश्चात् यह वाद पंद्रह अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाई के अंतर्गत रहा।

8. वाद विचारण के दौरान अभियुक्त मन्नु राय की मृत्यु के कारण दिनांक 11.05.2016 को अभियुक्त मन्नु राय के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाई स्थगित कर दिया गया।

9. दिनांक 31.07.2025 को अभियुक्तगणों का द.प्र.स. की धारा 313 के अंतर्गत बयान लिया गया जिसमें सभी अभियुक्तगणों के द्वारा स्वयं को निर्दोष बताया गया और कहा गया कि उन्हें नहीं पता कि शत्रुघन राय की मृत्यु कैसे हुई। अभियुक्त कृष्णा राय के द्वारा बताया गया कि वह पटना में सब्जी बेचता है और छः माह के बाद पटना से आने के बाद उसे पता चला कि शत्रुघन राय की मृत्यु हो गयी। अभियुक्त कामेश्वर राय के द्वारा बताया गया कि घटना के दिन वह परिवार के साथ सोनपुर गया था। अभियुक्त रामाकांत राय के द्वारा बताया गया कि वह पटना में रहता था, दूध का कारोबार करता था। अभियुक्त धर्मनाथ राय के द्वारा बताया गया कि वह टेम्पू चलाता है, शाम को लौटा तो मालूम हुआ कि शत्रुघन राय को चोट लगी है। अभियुक्त सुरेश राय के द्वारा बताया गया कि वह घटना के समय वह पूना में था। अभियुक्त संजय राय के द्वारा कहा गया कि वह उस समय पूना में रहता था। उसने सुना कि शत्रुघन राय को मारा है। वह अस्पताल में है। अभियुक्त विंदेश्वर राय के द्वारा बताया गया कि वह उस सयम सेंटल बोर्ड कोयला में सर्विस में था। उन्होंने सुना था कि शत्रुघन राय की मृत्यु हो गया है, कैसे हुई पता नहीं। अभियुक्त रमेश राय के द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी की तबीयत गड़बड़ थी, वह उस दिन अस्पताल में था। अभियुक्त राजू सिंह के द्वारा बताया गया कि उस समय वह घटनास्थल पर नहीं थे। सुने कि शत्रुघन राय की मृत्यु हो गई है, दोपहर में कुछ घटना हुआ, मालूम नहीं। अभियुक्त विश्वनाथ राय के द्वारा बताया गया कि उन्हें पता चला कि स्कूल में राशन बांटने में शत्रुघन राय थे, सुने कि मारपीट हुए थे बहुत आदमी को चोट आई थी तथा सुने कि मर गए।

निश्चायक बिंदु

6. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध किया गया है अथवा नहीं?

साक्ष्य एवं बहस

7. इस वाद अभियोजन की ओर से मात्र तीन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिनमें साक्षी संख्या 1. मुरली मनोहर श्रीवास्तव, साक्षी संख्या 2. सुशिला देवी एवं साक्षी संख्या 3. प्रभु पंडित हैं। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षियों के अतिरिक्त अन्य साक्षी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जबकि साक्षियों के विरूद्ध सम्मन निर्गत किए गए, जमानतीय एवं गैर जमानतीय वारंट निर्गत किए गए एवं अभियोजन को बार बार साक्षियों को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए जिला मस्टिेट एवं आरक्षी अधीक्षक सारण को पत्र निर्गत किए गएपरंतु उक्त साक्षियों के विरूद्ध को साक्षी प्रस्तुत नहीं हुए। उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

8. साक्षी संख्या–1 मुरली मनोहर श्रीवास्तव द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया कि घ ाटना के समय वह प्राथमिक विद्यालय चौसिया के प्रधानाध्यापक थे। घटना के दिन विद्यालय शिक्षा समिति का चुनाव था। मेरे विद्यालय में चौसिया के अलावा अंबेदकर नगर टोला के भी विद्य ार्थी आते थे। चौरसिया के निवासी लोग अंबेदकर टोला के लोगों का वहां आने से विरोध किए इसी पर दोनों पक्ष में गाली गलौज शुरू हो गया एवं झगड़ा होने लगा तो मुखिया उठ कर भाग गया एवं पंचायत सेवक भी चले गए एवं मैं और मेरे साथी भी चले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है। बाद में सुना कि रनविजय राय को चौसिया के लोग मारपीट कर जख्मी कर दिया था। जिनका ईलाज पटना में हुआ था। घटना के बारह तेरह दिन बाद सुना कि रनविजय राय ईलाज के दौरान पटना में ही मर गए। बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण में कहा गया कि उन्होंने घटना के बारे में एवं रणविजय राय के जख्मी होने तथा ईलाज के क्रम उनकी मृत्यु होने के बारे में किससे से सुना था उसका नाम याद नहीं है। साक्षी द्वारा यह भी कहा गया कि मेरा बयान पुलिस ने नहीं लिया था। चौसिया प्राथमिक विद्यालय से सोनपुर छः किलोमीटर दूर है।

9. साक्षी संख्या–2 सुशीला देवी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया कि वह सुनी थी कि स्कूल पर मारपीट हुआ था। कौन किसको मारा यह उसने नहीं सुना था। उसे भी ईंटा से एक चोट आई थी। किसने मारा था नहीं देखी थी। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया था। अभियोजन की ओर से साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से भी साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा कहा गया कि घटनास्थल पर बहुत भीड़ थी, दो सौ–तीन सौ आदमी थे।

10. साक्षी संख्या–3 प्रभु पंडित द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया कि घटना के दिन चौसिया गांव में एक स्कूल पर लोगों पर ईकट्ठा देखकर वहां गया तो थोड़ी देर बाद वहां हल्ला होने लगा। वह भी भीड़ से हटने लगा इसी क्रम में इसके पैर में ठोकर लग गया तथा गिरने से उसका सिर फट गया था। पुलिस के यहां उसका बयान नहीं हुआ था। साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया था। अभियोजन की ओर से साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से भी साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा कहा गया कि उसके घर से सोनपुर थाना की दूरी 7–8 किलोमीटर है। घटनास्थल पर बहुत भीड़ थी, दो सौ–तीन सौ आदमी थे।

12. बचाव पक्ष की ओर से अपनी बहस में कहा गया कि इस वाद में तीन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिनमें साक्षी संख्या–02, एवं 03 पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जिसमें साक्षी संख्या–02 के द्वारा यह कहा गया है कि उन्हें किसने मारा नहीं देखा एवं साक्षी संख्या–03 द्वारा यह कहा गया कि उन्हें भीड़ से हटने के क्रम में पैर से ठोकर लगी तथा वह गिरे और उसे गिरने से चोट आई। बचाव पक्ष के द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि जहां तक साक्षी संख्या–1 का प्रश्न है, साक्षी उसी चौसिया प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य है जिनके द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्होंने सुना था कि मारपीट हुई है क्योंकि उसके विद्यालय शिक्षा समिति का चुनाव था तथा घटना के दिन रणविजय राय के जख्मी होने तथा ईलाज के क्रम में मृत्यु होने की बात उन्होंने सुनी थी। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि इस वाद में ना ही सूचक, ना ही अनुसंधानक एवं ना ही चिकित्सक साक्षी का परीक्षण हुआ।

अभियोजन अभियुक्तगणों के विरूद्ध स्पष्ट संलिप्तता, संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ तथा अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं।

13. विद्वान लोक अभियोजक की ओर से अपनी बहस में कहा गया कि अभियोजन अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल हुआ है। अभियुक्तगण दंड के पात्र हैं।

14. उभय पक्षों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में अभियोजन की ओर से तीन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। जिनमें साक्षी संख्या 02 एवं 03 पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं। साक्षी संख्या –02 द्वारा यह कथन किया गया है कि ***" कौन किसको मारा यह मैंने नहीं सुना। मुझे भी ईंटा से एक चोट आई थी, किसने मारा था, मैंने नहीं देखी थी। "*** साक्षी संख्या 03 द्वारा यह कथन किए गए हैं कि ***" मैं चौसिया गांव में एक स्कूल पर लोगों को इकट्ठा देखकर वहां गया तो थोड़ी देर बाद वहां हल्ला होने लगा तो मैं भीड़ से हटने लगा एवं उसी क्रम में मेरे पैर में ठोकर लग गया तथा गिरने से मेरा सिर फट गया। "*** जहां तक साक्षी संख्या –01 का प्रश्न है यह वहीं साक्षी है जो कथित घटनास्थल चौसिया प्राथमिक विद्यालय के प्राधानाचार्य हैं। उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि ***" दोनों पक्ष में गाली गलौज शुरू हो गया एवं झगड़ा करने लगे तो मुखिया उठकर भाग गए.....मैं तथा मेरे साथी भी चले गए उसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है.....बाद में सुना कि रणविजय राय को चौसिया गांव के लोग ही मारपीट कर जख्मी कर दिया.....ईलाज के दौरान पटना में ही मर गया।*** अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन आरोपों की संपुष्टि में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। अभियोजन का दायित्व है कि अभियुक्तगणों के विरूद्ध नाजायज मजमा बनाकर मारपीट करने, हत्या का प्रयास करने, जख्म पहुंचाने एवं रूपये चोरी जैसे आरोपों को न्यायालय में संपुष्टि करें। संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि अभियोजन अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है, अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं।

आदेश

अंततः अभियुक्तगण विश्वनाथ राय एवं कृष्णा राय पुत्र चंद्रकेत राय को भा0द0वि0 की धारा 302, 307/149 के विरूद्ध एवं संजय राय, विंदेश्वर राय, रामाकांत राय, मैनेजर राय, कृष्णा राय पुत्र स्व0 कमला राय, सुरेश राय, चंद्रकेत राय, कामेश्वर राय, रमेश राय, राजू सिंह, हीरा सिंह एवं धर्मनाथ राय को भा.द.वि की धारा 147, 148, 341, 323, 324, 307, 302, 379/149 के आरोपों से संदेह के आधार पर मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

(राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार)
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ
सारण
दिनांक–30.03.2026

(राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार)
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ
सारण
दिनांक–30.03.2026

फार्म–सी

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय साक्षी की सूची

ए.

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, विशेषज्ञ, चिकित्सक, अन्य)
साक्षी–1	मुरली मनोहर श्रीवास्तव	अन्य साक्षी
साक्षी–2	सुशीला देवी	अन्य साक्षी
साक्षी–3	प्रभु पंडित	अन्य साक्षी

बी. विपक्षी साक्षी, अगर कोई– कोई नहीं

सी. न्यायालय साक्षी, अगर कोई– कोई नहीं

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय प्रदर्श की सूची

ए. अभियोजन

क्रमांक संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	शून्य	शून्य
02	शून्य	शून्य

बी–बचाव पक्ष

क्रमांक संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
शून्य	शून्य	शून्य

सी. न्यायालय प्रदर्श–कोई नहीं

डी. वस्तु प्रदर्श–कोई नहीं

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
सारण